भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नव संख्या 223

21 जुलाई, 2015 के लिए प्रश्नत

वार्तातय भांडागार प्रणाली

223. श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वार्तातय भांडागार प्रणाली के जरिये वेयर हाऊस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंतर्गत किसानों को ऋण उपलब्ध करवा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संगबंधीब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान वार्तातय भांडागार प्रणाली के जरिये राज्य-वार कितने किसानों ने ऋण सुविधा का लाभ उठाया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना का वित्तीय प्रभाव क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री राम विलास पासवान)

(क): सरकार भांडागारण विकास एवं विनियमन प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) के अंतर्गत नेगोशिएबल वेयरहाऊस रसीद प्रणाली के माध्यम से किसानों को सीधे कोई ऋण प्रदान नहीं कर रही है। भांडागारण विकास एवं विनियमन प्राधिकरण (डब्ल्यू डीआरए) का दायित्व केवल वेयरहाऊसों का पंजीयन करना है, जो नेगोशिएबल वेयरहाऊस रसीदें जारी कर सकते है।

(ख) और (ग): नेगोशिएबल वेयरहाऊस रसीदों पर ऋण बैंकों द्वारा दिये जाते हैं। वित्तीय सेवा विभाग तथा नाबार्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसान अपने उत्पाद वेयरहाऊसों में रखने के लिए फसल कटाई के बाद नेगोशिएबल वेयरहाऊस रसीद पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों से छह माह तक की अवधि के लिए तीन लाख रुपए तक की ऋण सुविधा का लाभ फसल ऋण के लिए उपलब्ध दर पर ले सकते हैं।

******